भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1469

जिसका उत्तर दिनांक 27.11.2019 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों को बढ़ावा

1469. श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार :
श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विद्युत संकट को दूर करने के लिए परमाणु ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पारंपरिक स्रोतों जैसे कोयला आधारित ताप विद्युत की तुलना में परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन सस्ता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा आने वाले चार वर्षों में देश भर में परमाणु विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न विद्युत को बांटने हेतु कोई नीति/दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और यदि हां, तो आज की तिथि अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) जी, हाँ । नाभिकीय ऊर्जा में देश की दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु काफी संभावनाएं हैं, साथ ही यह स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा है । इस हेतु, एक बड़े नाभिकीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है । वर्तमान में संस्थापित नाभिकीय ऊर्जा क्षमता 6780 MW है, जो, निर्माणाधीन परियोजनाओं और मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर 22480 MW तक पहुंचने की संभावना है ।

(ख) नाभिकीय ऊर्जा द्वारा उत्पादित बिजली का प्रशुल्क (टैरिफ), उस क्षेत्र में स्थित, कोयला आधारित तापीय बिजली उत्पादित करने वाली समकालीन, परम्परागत बेस लोड बिजली उत्पादन यूनिटों से तुलनीय है ।

(ग) नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, सरकार ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं । इनमें,

i. फ्लीट मोड में स्थापित किए जाने वाले दस (10) स्वदेशी 700 MW दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) और रूसी परिसंघ के सहयोग से स्थापित किए जाने वाले साधारण जल रिएक्टरों (एलडब्ल्यूआर) की दो (2) यूनिटों को प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करना,

ii नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम के कार्यान्वयन के संदर्भ में भारतीय नाभिकीय बीमा पूल (आईएनआईपी) का सृजन,

iii नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उद्यम बनाए जा सकने के लिए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन,

iv ईंधन की आपूर्ति सहित नाभिकीय ऊर्जा सहयोग के लिए विदेशों के साथ समर्थकारी करार करना, शामिल है ।

अगले चार वर्षों में, 5300 MW की क्षमता, जिसमें निर्माणाधीन सात (7) रिएक्टर यूनिटें शामिल हैं, जुड़ने की आशा है । इसके फलस्वरूप, संस्थापित नाभिकीय ऊर्जा क्षमता 6780 MW से बढ़कर 12080 MW हो जाएगी ।

(घ) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) द्वारा, क्षेत्र के विभिन्न लाभार्थी राज्यों/संघ राज्यों को आबंटित की जाती है । ऊर्जा मंत्रालय के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, 50% बिजली 'गृह' राज्य को आबंटित की जाती है, 15% बिजली आबंटित नहीं की जाती, ताकि उसे तत्काल/समग्र आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार आबंटित कर सके तथा बची हुई 35% बिजली अन्य लाभार्थियों को ('गृह' राज्य को छोड़कर) आबंटित की जानी होती है । यह आबंटन करते समय केंद्रीय योजना सहायता पैटर्न तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान बिजली की खपत, दोनों घटकों को समान महत्व दिया जाता है ।

*****